

राजस्थान सरकार

जरिये पटवार हल्का - 245

बहक

श्री मं बुरलाल

पुत्र श्री विद्यानाथ भकरी

जाति त्रिवारिया निवासी

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 12 / 2018

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम श्रील भकरी खसरा नम्बर 397, 422
423 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म गुंठे (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री मं बुरलाल
पुत्र श्री विद्यानाथ भकरी जाति त्रिवारिया निवासी भकरी जिरा
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा उत्तर लताक कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोडिस ~~उत्तर~~ के मागिल लेकर प्राप्त

द्वारा अप्रार्थी की ओर से उत्तर पुर
उपस्थित लेट डिसे उता का जवाब पुस्तक गरी डिमा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम श्रील भकरी
ख. नं. 397, 422, 423 रकबा 2.43 किस्म गुंठे पर संवत् 2074 में विना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर उत्तर लताक कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिखा जावे।

(2) लगान दर रूपया 62 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 729/15
(रूपये सात सौ उन्नीस के पये) शास्ति
कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की
उत्तर एवं तहसील राजस्व लेखाकार क्री पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।
भू. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

वर्षिका नं. 2018-19 के पृष्ठ नं. 54
पृष्ठ सं. 729/15 का 50 का
सं. 1 की गई।

तहसील निरीक्षक

नाथव
नाथव तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)